सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या – 433 राँची, बुधवार, 7 सितम्बर, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

राज्यादेश

16 अगस्त, 2022

संचिका संख्या-**5**/स०भू० देवघर (एस०पी० माईन्स)-**112/2022-2742**/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**29.07.2022** में मद संख्या-**08** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ, मौजा-चितरा, थाना संख्या-**598**, खाता संख्या-**75**, दाग संख्या-**716, 771** एवं **784** में अंतर्निहित कुल रकबा-**1.58** एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि, किस्म-रास्ता (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक**I**) जिला अवर निबंधक, देवघर के आदेश संख्या-**01/2020**, ज्ञापांक-**196**, दिनांक-**15.07.2020**

द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का पुनरीक्षित मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार वर्तमान बाजार दर (व्यवसायिक) एवं राजस्व विभागीय संकल्प सं**0-48**/रा**0,** दिनांक-**03.01.17** के आलोक में संगणित सलामी की राशि **40,23,154/-(**चालीस लाख तेईस हजार एक सौ चौवन) रूपये मात्र, सलामी का **1** (एक) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि **40,231/-** (चालीस हजार दो सौ इकतीस) रूपये मात्र, लगान का **75** प्रतिशत सेस की राशि **30,174/-(**तीस हजार एक सौ चौहत्तर) रूपये मात्र तथा **29** वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि **20,41,751/-(**बीस लाख इकतालीस हजार सात सौ इक्यावन) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **61,35,310/-(**एकसठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ दस) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक**II**) ई**0**सी**0**एल**0** चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस**0**पी**0** माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई**0**सी**0**एल**0** (एस**0**पी**0** माईन्स) चितरा के साथ **30** वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में।

आदेशः- **स्वीकृत।**

i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।

ii. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा **12** माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।

iii. प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम **1980** के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही जंगल-झाड़ी भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई उपायुक्त, देवघर सुनिश्चित करेंगे।

iv. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची निकाय से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

v. इस बंदोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "**0029** भू-राजस्व-**107**" के अंतर्गत जमा होगी।

vi. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, देवघर यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

vii. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

viii. यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

ix. अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प सं**0-48**/रा**0,** दिनांक-**03.01.17** एवं खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अंजनी कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

संचिका संख्या-**5**/स**0**भू**0** देवघर (एस**0**पी**0** माईन्स)-**112/2022-2742**/रा**0,** राँची**,** दिनांक-***16.08.2022***

अनुलग्नक-I

भूमि का विस्तृत विवरणी :-

अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता नं0	दाग नं0	रकवा(एकड़ में)	किस्म
03/2020-21	देवघर	सारठ	चितरा/598	75	716	0.28	रास्ता
					771	1.15	रास्ता
					784	0.15	रास्ता
सकल कुल योग						1.58 एकड़	

अनुलग्नक-II

भूमि का मूल्य गणना विवरणी :-

अभिलेख सं0	रकबा (एकड़ में)	भूमि का मूल्य प्रति एकड़	सलामी की राशि	सलामी का 1 प्रतिशत वार्षिक लगान	लगान का 75 प्रतिशत सेस	29 वर्षों के लिए लगान एवं सेस की राशि	कुल देय राशि(4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
03/2020-21	1.58	2546300	4023154	40231.54	30173.66	2041750.66	6135309.85
कुल	**1.58**		4023154	40231.54 या 40231	30173.66 या 30174	2041750.66 या 2041751	6135309.85 या 6135310

अर्थात कुल देय राशि 61,35,310/-(एकसठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ दस) रूपये मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 433 – 50